न्यायालय अनुमंडल नीलाम-पत्र पदाधिकारी बगोदर –सरिया

आदेश - पत्र

देखे अभिलेख स्तक 1914 का नियम 129
आदेश सं० क० ता० से तक
शाखा प्रबन्धक

बैंक ऑफ इंडिया अतका

केस न० 118/21

मूल 25877.00

कोर्ट फी० 706

टोटल 26583.00

के द्वारा देनदार श्री मनोज कुमार मंडल
ग्राम - अतका, पो० अतका थाना - बगोदर ।

के विरूद्ध 26583.00 रूपये की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अधियाचना पत्र देकर प्रमाण-पत्र मुकदमा दायर किया गया है।

अधियाचना पत्र के साथ देनदार द्वारा किया गया लोक मांग वसूल अधिनियम के अधीन वसूली हेतु एकरारनामा की प्रति लेखा विवरणी तथा अन्यान्य कागजात दाखिल किया गया है।

मुकदमे की स्वीकृति हेतु 706.00 रूपये मुल्य का कोर्ट फी स्टाम्प दायर किया/ नहीं किया गया है।
स्टाम्प दायर करके हेतु समय कि मांग की गई है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

पंजी X में अंकित करें। स्टाम्प दायर मामले में दफा 7 के अन्तर्गत देनदार / जमानतदार के सूचना प्रपत्र 1 के साथ जारी करें; जिसका तामिला BOI Atka से करावें।

अभिलेख दिनांक 16/9/21 को दखें।

5/08

अनुमंडल नीलाम पत्र पदाधिकारी

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
2/9/22	अभिलेख उपस्थापित। धारा–7 की नोटिस तामिला हेतु CH को दिनांक–06.08.2021 को उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि CH को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। CH को अंतिम मौका दें कि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करावें अन्यथा Boards Instructions No.-6 के प्रावधानों की अवहेलना में वाद की कार्यवाई समाप्त कर दी जायेगी तथा इसकी सारी जबावदेही CH की होगी। CH को इस आदेश से अवगत करावें। अभिलेख दिनांक 19/9/22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। 2/09/22 निलाम पत्र पदाधिकारी –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर–सरिया	
19-9-22	अभिलेख उपस्थापित। CH द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा उनके कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं है। अभिलेख दिनांक 11.10.22 को उपस्थापित करें। 19/9	
11.10.22 10.12.22	अभिलेख उपस्थापित। आदेश की टंकित प्रति संलग्न। 10/12	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/12/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 के अंतर्गत धारा–7 की नोटिस तामिला हेतु CH को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उनके द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। दिनांक–02.09.2022 को Boards Instructions No. 6 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये वाद की कार्यवाई समाप्त करने हेतु कार्यवाई प्रारम्भ करने की सूचना CH को दी गई थी, तथापि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्टतया CH की इस वाद में कोई अभिरूचि प्रतीत नहीं होती है। Board's Instruction No. 6 में प्रावधानित है कि " Responsibility of Requiring-officer and Certificate-officer for prompt disposal of certificate cases. – The Requiring-officer and Certificate-officer are jointly responsible of the punctual disposal of certificate cases and are bound to bring to each other's notice and if necessary to the notice of the Collector, any	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	undue delay. The Requiring-officer is primarily responsible for systematic application for certificates, the prompt disposal of objections if referred to him under Rule 11, Schedule II to the Act, the return of the files after such disposal, and the early application for execution, giving details of the property against which the certificate is to be enforced. He is also responsible for seeing, from time to time, that the execution proceedings are progressing. He is responsible for reporting punctually all payments out of Court, as prescribed in Instruction 24 below." अतः उक्त विवेचन के आलोक में इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। साथ ही यदि किसी राशि की वसूली अवशेष रह जाती है तो इसके लिये CH पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। सर्टिफिकेट ऑफिसर –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर–सरिया।	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.11 16:43:59 +05:30
Location: 192.168.1.4